

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1715

दिनांक 10 फरवरी, 2026 / 21 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

सीसीटीएनएस से जुड़े पुलिस स्टेशन

1715. श्री दिलीप शङ्कीया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पुलिस स्टेशनों को अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से जोड़ने का महत्व और सार्थकता क्या है;

(ख) वर्तमान में देश में सीसीटीएनएस से जुड़े पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है; और

(ग) सीसीटीएनएस से जुड़े पुलिस स्टेशनों में से वर्तमान में सक्रिय रूप से सीसीटीएनएस का उपयोग करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) अपराध एवं अपराधियों से संबंधित डेटा के संग्रहण, अद्यतनीकरण और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। यह राज्य पुलिस, केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भारत के नागरिकों को विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को लाभ:

- पुलिस प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण (शिकायत, एफआईआर, जांच विवरण, आरोप पत्र, न्यायालय निपटान और अपील, चालान/रजिस्टर)
- अपराध एवं अपराधियों के राष्ट्रीय/राज्य डेटाबेस पर खोज
- प्रभावी न्याय प्रदान करने के लिए पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों, न्यायालयों, जेल, फोरेंसिक और अभियोजन के बीच डेटा साझा करना

डिजिटल पुलिस पोर्टल और केंद्रीय नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की गई हैं:

- गुमशुदा व्यक्तियों की खोज

- वाहन एनओसी जनरेट करना
- घोषित अपराधियों की जानकारी
- निकटतम पुलिस थाने का पता लगाना

इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस नागरिक पोर्टल द्वारा निम्नलिखित 9 अनिवार्य नागरिक सेवाएँ प्रदान की गई हैं:

- संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना
- शिकायतों की स्थिति प्राप्त करना
- एफआईआर की प्रतियां प्राप्त करना
- गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों का विवरण
- लापता/अपहृत व्यक्तियों का विवरण
- चोरी/बरामद वाहनों, हथियारों और अन्य संपत्तियों का विवरण
- विभिन्न एनओसी (जुलूस, कार्यक्रम/प्रदर्शन, विरोध/हड़ताल आदि) जारी करने/नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना
- नौकरों, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण आदि के लिए सत्यापन अनुरोध
- सूचना साझा करने और नागरिकों को आवश्यक फॉर्म डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टल

(ख) से (ग): 01.01.2026 तक देश भर के सभी 17,792 पुलिस स्टेशन जुड़ चुके हैं और सीसीटीएनएस का उपयोग कर रहे हैं।